न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 80/2020 बउनवानी गोपीराम **बनाम** सू.अधि.एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग आर.टी.आई. रिसर्च सेंटर, बांसवाडा, राज0

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
17.12.2020	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 21.9.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अति0 जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

- राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप–6 विभाग ने दिनांक 26.12.2019 को ग्रामीण क्षेत्रों मे सामूहिक भूमियो एवं सार्वजनिक स्थलों यथा चारागाह, जोहड, तालाब, नदी,श्मशासन, कब्रिस्तान, सार्वजनिक प्रस्ताव इत्यादि पर अतिक्रमणो को हटाने संबंधि विस्तृत निर्देश जारी किये गये जिसके बिन्दु संख्या 2 मे उक्त प्रकार की शिकायतों एवं परिवादो के संघारण हेतु पंजिका का संघारण निर्धारित प्रारूप मे करने बाबत समस्त जिला कलेक्टरो को लिखा गया है। जिला कलेक्टर को पत्र दिनांक 8.7.2020 जारी कर उक्त बिन्दु संख्या 2 पर दिये गये निर्देशो के क्रम में की गयी कार्यवाही की दिनांक 30.6.2020 तक की प्रगति भी चाही गयी है।उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि मे राजस्व (ग्रुप–6) विभाग का पत्रांक राज 6/2015 दिनांक 31.8.2020 संलग्न है।

1. आपके जिले में उपरोक्त निर्देश अनुसार संपठित की गयी पंजिका की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें
2. पत्र संख्या 8.7.2020 द्वारा मांगी गयी दिनांक 30.6.2020 की प्रगति रिपोर्ट आपने राजस्व विभाग मे प्रेषित की हो तो उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करावे ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक राजस्व/2020/5777 दिनांक 27.11.2020 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.10.2020 को अनुभाग मे प्राप्त हुआ है जिसमे चाही गयी सूचना कुल 2 पृष्ठो के लिए 4/–रू केशियर कार्यालय हाजा को जमा करवाकर कोपिस्ट कार्यालय हाजा से प्राप्त करने हेतु जरिये पत्रांक 5451 दिनांक 4.11.2020 से अपीलान्ट को लिखा जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.9.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना प्राप्त करने बाबत प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 5451 दिनांक 4.11.2020 से अपीलान्ट को 4/–रू जमा करवाने हेतु लिखा गया था, किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाया गया है। अतः अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि 15 दिवस में वांछित शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त करे। यदि किसी कारण वश सूचना प्राप्त करने हेतु कार्यालय मे उपस्थित होने मे असमर्थ हो तो वांछित शुल्क मय स्वंय का पता लिखा लिफाफा जरिये डाक जिला कार्यालय को भिजवावे ताकि आपकी सूचना भिजवायी जा सके। उक्त निर्देश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2020.12.28 17:17:25 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर